

82

**निगम के नियमित कर्मचारियों को सामान्यतः प्रदत्त सामान्य अवकाशो का
संक्षिप्त विवरण।**

आकस्मिक अवकाश

1. देय अवकाश की संख्या –
 - मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों हेतु – एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन का अवकाश देय है।
 - शाखाओं में पदस्थ कर्मचारियों हेतु – एक कैलेण्डर वर्ष में 20 दिन का अवकाश देय है।
2. उपभोग की सीमा – आकस्मिक अवकाश एक समय में आठ से अधिक दिन का मंजूर नहीं किया जा सकता है।

अर्जित अवकाश


- छ.ग.सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 2010 के अन्तर्गत।
 1. देय अवकाश की संख्या – प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष हेतु 30 दिन।
 2. निगम में कार्यरत प्रत्येक नियमित अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी एवं पहली जुलाई को 15-15 दिनों की दो किश्तों में अग्रिम अर्जित अवकाश जमा किया जावेगा।
 3. पिछली छः माही की समाप्ति पर अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा अवकाश कोइस शर्त के अध्याधीन रहते हुये आगामी छः माह में कैरी फरवर्ड किया जावेगा कि इस प्रकार से कैरी फरवर्ड किये गये अवकाश तथा छः माही में जमा अवकाश का योग 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा।
- उपभोग की सीमा – एक समय में अधिकतम 180 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

प्रसूति अवकाश

1. देय अवकाश की संख्या एवं उपभोग की सीमा – किसी महिला शासकीय सेवक जिसकी 02 से कम जीवित संताने है, को 180 दिन तक की अवधि के लिए प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

पितृत्व अवकाश

1. देय अवकाश की संख्या एवं उपभोग की सीमा – किसी पुरुष शासकीय सेवक जिसकी 02 से कम जीवित संतान है, उसकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान अर्थात बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म से 06 माह की अवधि की भीतर अवकाश स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।


प्रबन्धक (अभिज्ञ)

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर

(छ.ग.)

अर्जित अवकाश हेतु आवेदन-पत्र

84

सर्विस बुक क्रमांक

(1) नाम

(2) पद

(3) शाखा/कार्यालय

(4) अवकाश का विवरण :-

(अ) अर्जित अवकाश/विशेष अवकाश

चिकित्सा अवकाश/प्रसूति अवकाश

(ब) पूर्ण वेतन पर अथवा अर्ध वेतन पर

(स) अवधि दिनांक से दिनांकतक तथा

दिनांक से दिनांकतक

दिनांक से दिनांकतक

की सामान्य / सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने व

मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित

(5) कारण

(6) अवकाश अवधि के दौरान

पत्र व्यवहार करने का पूरा पता

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम

पद

दिनांक

छत्तीसगढ़ स्टेट वॉटरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
-प्रधान कार्यालय, उद्योग भवन, तृतीय तल, रिंग रोड नं०-१, रायपुर (छ०ग०)

85

:: आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन पत्र -:-

01. आवेदनकर्ता का पूरा नाम :
02. अ-पद :
- ब-शाखा/कार्यालय :
03. निवास स्थान का पता :
- :
- :
- :
04. कितने दिनों का अवकाश चाहिए :
05. अवकाश का कारण :
- :
- :
06. अवकाश अवधि का पता
-
-
-

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय

दिनांक